लेखापरीक्षा पैरा

वार्षिक रिपोर्ट 2012–13(12.02.2012 की स्थिति के अनुसार) में शामिल किए जाने के लिए लेखापरीक्षा पैरा (वाणिज्यिक उ सिविल) की वर्तमान स्थिति।

क्र.सं.	पैरा सं. / रिपोर्ट सं.	संक्षिप्त विषय	वर्तमान स्थिति
1	2011–12 का रिपोर्ट सं. 1	**<u>पैरा सं. 4.1.5</u>: भारत के संविधान के अनुच्छेद 114(3) का उल्लंघन –क्षेत्रीय भुगतान व लेखा कार्यालय, धनबाद के स्थापना व्यय पर हुआ व्यय।** वित्त वर्ष 2010–11 के लिए कोयला मंत्रालय की अनुदान सं. 10 के विनियोजन लेखों की जांच से पता चला था कि सार्वजनिक लेखों में निधियों से क्षेत्रीय भुगतान व लेखा कार्यालय, धनबाद के स्थापना से संबंधित व्यय पर 16.76 लाख रूपये खर्च हुए हैं, जो कि संसद द्वारा समुचित विनियोजित के पश्चात भारत के एकीकृत कोष से किया जाना चाहिए था। बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने के बजाय व्यय को सार्वजनिक लेखा में कोयला खान श्रम आवास तथा सामान्य कल्याण कोष से पूरा किया गया जिसे 1947 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था तथा 1986 में निरस्त किया गया था। कोष की शेष राशि भारत के एकीकृत कोष में अंतरित नहीं की गई थी जैसाकि 1986 के निरस्त अधिनियम में परिकल्पित था। वर्ष 1987–88 से 2009–10 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय भुगतान व लेखा कार्यालय, धनबाद पर 10.43 करोड़ रूपये का अप्राधिकृत व्यय किया गया।	लंबित
2	वर्ष 2012–13 की रिपोर्ट सं.8 का पैरा सं. 3.1	**<u>एसईसीएल</u>** **3.1 दिप्का ओपर कास्ट खान में सर्फेस खनिकों द्वारा उत्पादित कोयले के प्रेषण हेतु पे –लोडरों को तैनात न करना।** पे –लोडरों को तैनात न करने के कारण, एसईसीएल ने दिप्का ओपन कास्ट खान में सर्फेस खनिकों द्वारा उत्पादित	लंबित

		100 मि.मी. से कम आकार के 6.5 मिलियन कोयले का प्रेषण 100 मि.मी. से कम आकार वाले कोयले को क्रश करने में सक्षम फीडर ब्रेकर्स की सुविधा से किया अतः वर्तमान क्रशिंग सुविधाओं का लाभप्रद उपयोग नहीं हो सका तथा जून 2010 से मई 2011 के दौरान 12.76 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित नहीं कर सका।	
3	2012–13 की रिपोर्ट सं.8 का पैरा सं. 3.2	<u>डब्ल्यूसीएल</u> **3.2 विद्युत प्रभार का उच्च दरों पर भुगतान** वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने बिजली के घरेलू उपभोग के लिए सस्ते घरेलू दर पर औद्योगिक और गैर –औद्योगिक दरों पर दो विद्युत बोर्डों से विद्युत खरीदने पर 2007–08 से 2010–11 के दौरान 7.62 करोड़ रूपये का व्यय किया जिसे बचा जा सकता था।	लंबित
4.	वर्ष 2012–13 की रिपोर्ट सं.7	**कोयला ब्लॉकों का आबंटन तथा कोयला उत्पादन में वृद्धि** भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट में "कोयला ब्लॉकों के आबंटन तथा कोयला उत्पादन में वृद्धि" में निष्पादन लेखा परीक्षा के परिणाम दिये गए हैं। कोयले की मांग और घरेलू आपूर्ति में बढ़ता हुआ अंतर और तत्पश्चात उत्तरोत्तर बढ़ते हुए आयात से नाजुक स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण कोयला उत्पादन बढ़ाने तथा पारदर्शिता और वास्तविकता के मामले में कोयला ब्लॉकों के आबंटन में अपनायी गई प्रक्रिया की प्रभावोत्पादकता की जांच करने की आवश्यकता होगी। कोर अवसरंचनाओं की मांग को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाने में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के निष्पादन का विश्लेषण किया गया है। कोयला मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004 से पहलें के परिप्रेक्ष्य में केप्टीव कोयला ब्लॉकों के आबंटन हेतु प्रतिस्पर्धी बोली के मुद्दे तथा प्रतिस्पर्धी बोली के अलावा अन्य के माध्यम से ब्लॉकों के आबंटन द्वारा निजी आबंटितियों को दिये जाने वाले संभावित लाभ के बारे में भी जानकारी दी गई है। **वर्ष 2012–13 की लेखा परीक्षा सं. 7 की विशेषताएं अनुलग्नक में दी गई हैं।**	रिपोर्ट सार्वजनिक लेखा समिति (पीएसी) के जांच के अधीन है पृष्ठभूमि नोट एवं प्रश्नावली पर कोयला मंत्रालय से प्राप्त उत्तर पीएसी को प्रस्तुत कर दी गई है।

अनुलग्नक

लेखा परीक्षा रिपोर्ट की विशेषताएं:

- कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए, श्री टी.एल. संकर की अध्यक्षता में कोयला क्षेत्र सुधार (दिसम्बर, 2005) हेतु रोड मैप संबंधी विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि केन्द्रीय खान आयोजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) की ड्रिलिंग क्षमता प्रतिवर्ष कम से कम 15 लाख मीटर तक बढ़ाई जाए। इसके विपरीत वर्ष 2011–12 में सीएमपीडीआईएल की संभावित ड्रिलिंग क्षमता मात्र 3.44 लाख मीटर थी **(पैरा 3.2)**
- 11वीं योजना अवधि के दौरान सीआईएल द्वारा कोयला उत्पादन की वृद्धि दर योजना आयोग द्वारा परिकल्पित लक्ष्य से काफी नीचे रही है। निम्न उत्पादन अपर्याप्त ड्रिलिंग क्षमताओं, ओवरबर्डन हटाने में वैकलॉग, खुदाई और परिवहन क्षमताओं के बीच मिस–मैच, कम उपलब्धता तथा हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) की अल्प उपयोगिता आदि के कारण था। सीआईएल के 48 कोयला ब्लॉकों की डि–रिजर्वेसन द्वारा उत्पादन बढ़ाने में कोयला मंत्रालय के प्रयास तथा उन्हें केप्टीव उपभोक्ताओं को आबंटित करने से वांछित परिणाम नहीं आए क्योंकि इन ब्लॉकों से कोई उत्पादन शुरू नहीं हो सका **(पैरा 3.3)**
- नई कोयला वितरण नीति, 2007 में लघु और मध्यम उपभोक्ताओं को बेहतर कोयला वितरण की परिकल्पना की गई है। तथापि, कोयले के अंत्य प्रयोग की जांच के लिए कोई मॉनीटरिंग मैकेनिज्म नहीं बनाया गया था। **(पैरा 3.4)**
- केप्टीव कोयला ब्लॉकों के आबंटन हेतु दिशा–निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "निजी क्षेत्र को दिये गए ब्लॉक सीआईएल की वर्तमान खानों एवं परियोजनाओं से उचित दूरी पर होनी चाहिए जिससे कि प्रचालनात्मक समस्याओं से बचा जा सके"। तथापि, लेखा परीक्षा में नोट किया गया है कि सितम्बर, 2006 में एनसीएल से मोहर और मोहर–अमलोहरी विस्तार का डि–रिजर्वेसन तथा सासन यूएमपीपी को आबंटन से निजी पार्टी से एनसीएल की अमलोही ओपरकास्ट परियोजना की वांउडरी शेयर करनी पड़ी। इस प्रकार एनएलसी अपनी अमलोहरी ओसीपी के 48 मिलियन टन के कोयला भंडार तक पहुंच नहीं पा सका। इससे इसकी परियोजना काल भी 24 से घटकर 20 वर्ष हो गई। इसी प्रकार, एनएलसी के निगाही ओपन कास्ट परियोजना के वाउंडरी से मोहर–अमलोहरी विस्तार शेयर होने के कारण 9 मिलियन टन तक खनन योग्य भंडार में कमी आ गई। **(पैरा 3.5)**
- सीआईएल द्वारा ओपन कास्ट खानों से कोयले के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। तथापि, वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान उत्पादन में कुल गिरावट ईसीएल में 9.1 मिलियन टन, सीसीएल में 5.88 मिलियन टन तथा एमसीएल में 22.86 मि.ट. थी। **(पैरा 3.6)**
- भूमिगत खानों से उत्पादन वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक लगभग 43 मि.ट. पर स्थिर रहा है तथा 2010–11 में 40 मि.ट. तक घटा है जोकि वर्ष 2010–11 में सीआईएल के कुल उत्पादन का 9.28 प्रतिशत था **(पैरा 3.7)**।

कोयला ब्लॉकों का आबंटन

- ऐसे केप्टीव कोयला ब्लॉकों के लिए आबंटन प्रक्रिया स्क्रीनिंग समिति मैकेनिज्म के माध्यम से

की गई थी जिसका भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्यों, जहां विशेष कोयला ब्लॉक थे, का भी व्यापक प्रतिनिधित्व था।

- स्क्रीनिंग समिति ने स्क्रीनिंग समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार किसी कोयला ब्लॉक के लिए किसी विशेष आबंटिति/ आबंटितियों को कोयला ब्लाक के आबंटन की सिफारिश की है। तथापि, उक्त कार्यवृत्त में अथवा किसी अन्य दस्तावेजों में कुछ भी रिकार्ड पर नहीं है जिसमें किसी कोयला ब्लॉक के लिए आवेदकों का तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया हो, जिन पर स्क्रीनिंग समिति द्वारा विश्वास किया जा सके। इस प्रकार स्क्रीनिंग समिति द्वारा कोयला ब्लॉकों के आबंटन हेतु पारदर्शी तरीका नई अपनाया गया था। **(पैरा 4.1)**
- आबंटन प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए स्क्रीनिंग समिति तंत्र की कथित अपर्याप्तता के परिप्रेक्ष्य में, ऐसे कोयला ब्लॉकों के आबंटन हेतु नीलामी प्रणाली शुरू करने के लिए 2004 में एक पहल की गई थी। प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से केप्टीव कोयला ब्लॉकों के आबंटन की अवधारणा सबसे पहले सचिव(कोयला) की अध्यक्षता में स्टेक धारकों के साथ हुई अंतः क्रिया बैठक में 28 जून, 2004 को सार्वजनिक की गई। बैठक के बाद "कोयला ब्लॉकों के आबंटन हेतु प्रतिस्पर्धी बोली" पर एक व्यापक नोट तत्कालीन सचिव (कोयला) द्वारा कोयला व खान राज्य मंत्री को (16 जुलाई, 2004) को प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया गया था कि चूंकि कोल इंडिया द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले कोयले के मूल्य तथा केप्टीव खनन के माध्यम से उत्पादित कोयले के मूल्य में पर्याप्त अंतर है, अतः केप्टीव ब्लॉक आबंटन वाले व्यक्ति को पर्याप्त लाभ हुआ था। इस प्रकार कोयला मंत्रालय द्वारा चयन प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता महसूस की गई जोकि अधिक पारदर्शी और उद्देश्यपरक रूप से स्वीकार्य हो। ब्लॉकों की नीलामी को कोयला मंत्रालय द्वारा एक व्यापक व्यवहार्य एवं स्वीकार्य चयन प्रक्रिया के रूप में समझा गया जोकि पारदर्शी एवं उद्देश्य परक था। नोट में आगे कहा गया था कि सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु बोली प्रणाली मात्र विंड–फाल लाभ का एक अंश ही प्राप्त करेगी।
- इन तथ्यों तथा निर्णयों के बावजूद, भारत सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के कार्य प्रणाली को अंतिम रूप देना (फरवरी, 2012) अभी बाकी है। **(पैरा 4.2)**
- जून, 2004 की स्थिति के अनुसार, कुल 39 कोयला ब्लाकों का आबंटन हुआ है। जुलाई 2004 से सितम्बर 2006 की अवधि के दौरान (प्रतिस्पर्धी बोली शुरू करने हेतु एमएमडीआर अधिनियम के संशोधन के मुद्दे पर कार्रवाई करने के लिए खान मंत्रालय को मामला भेजे जाने तक) और 71 ब्लाक (कुल) आबंटित किये गए थे कुल मिलाकर जुलाई 2004 से वर्तमान आबंटन प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न सरकारी तथा निजी पार्टियों को 142 कोयला ब्लाक आबंटित किये गए थे। इस आबंटन में पारदर्शिता एवं वास्तविकता की कमी थी **(पैरा 4.2)**
- कोयला मंत्रालय ने कोयला ब्लाकों के आबंटन हेतु प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शुरू करने के मामले को जून 2004 में विधायी मामले विभाग के पास उनका विचार जानने के लिए भेजा था कि क्या कोयला ब्लाकों को नीलामी/ प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से खान व खनिज(विनियम एवं विकास) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम), 1957 तथा खनिज

रियायत नियम 1960 के साथ पठित कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (सीएमएन) अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाये जाएं। कई पत्राचारों तथा दो वर्षों के पश्चात विधायी विभाग ने कहा(28 जुलाई, 2006) कि यह सरकार के ऊपर है कि प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से केप्टीव प्रयोग हेतु कोयला खनन ब्लाकों की नीलामी शुरू करे क्योंकि आबंटन हेतु चयन प्रक्रिया वर्तमान प्रशासनिक अनुदेशों में संशोधन के द्वारा ही संभव है तथा इस प्रकार की प्रक्रिया भारतीय ठेका अधिनियम, 1872 के प्रावधानों से ही शासित हो सकती है। **इस प्रकार प्रतिस्पर्धी बोली 2006 में शुरू की जा सकती थी (विधायी विभाग के जुलाई 2006 में सलाह के अनुसार)।** विधायी विभाग ने यह भी कहा था कि तत्काल मामले अर्थात् अधिनियम में संशोधन करने अथवा प्रशासनिक अनुदेशों में परिवर्तन करने के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नीतिगत मामला है जिस पर संबंधित मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाना है। यही विचार अगस्त 2006 में विधि सचिव ने भी दुहराया था। **(पैरा 4.2)**

- विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अपने पूर्व के विचार के औचित्य को स्पष्ट करते हुए 30 अगस्त 2006 के अपने मत में अंततः यह विचार प्रकट किया कि प्रशासनिक मंत्रालय एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन हेतु उपाय शुरू कर सकते हैं। अधिनियम में संशोधन लंबित रहते हुए, जुलाई 2006 के ईसीसी के सलाह पर कोयले ब्लाक का आबंटन जारी रहा। अंत में एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन हो जाने के पश्चात कोयला ब्लाकों की प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी हेतु नियमों को अंतर मंत्रालयी परामर्श के पश्चात 2 फरवरी, 2012 को अधिसूचित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण, वर्ष 2004–06 में जब कोयला ब्लाकों के आबंटन में पारदर्शिता/ प्रतिस्पर्धा शुरू करने के प्रयास चल रहे थे, उस समय कोयला मंत्रालय का मंतव्य बिल्कुल लेखा परीक्षक के निष्कर्षों के अनुसार था। 2जी स्पेक्ट्रम के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में भी दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन में पारदर्शिता/ प्रतिस्पर्धा अपनाने का निर्देश दिया गया है। **(पैरा 4.2 और 4.3)**

- प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया शुरू करने में विलम्ब से वर्तमान प्रक्रिया से निजी कंपनियों को लाभ हुआ है। लेखा परीक्षा में निजी कोयला ब्लाक आबंटितियों को 1.86 लाख करोड़ रूपये के लाभ का अनुमान लगाया गया है (वर्ष 2010–11 में सीआईएल के औसत उत्पादन लागत एवं ओपन कास्ट खानों के औसत विक्रय मूल्य के आधार पर । इस वित्तीय लाभ का एक भाग राष्ट्रीय राजकोष में आया होता यदि वर्षों पहले कोयला ब्लाकों के आबंटन हेतु प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय ले लिया गया होता। इस प्रकार लेखा परीक्षा का यह दृढ़ विचार है कि सस्ते कोयला का लाभ उपभोक्ताओं को पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए एक कठोर विनियामक एवं मॉनीटरिंग मैकेनिज्म की आवश्यकता है। **(पैरा 4.3)**

- आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि 28 फरवरी, 2012 को कोयला मंत्रालय को जारी "कोल इंडिया लि0 द्वारा कोयला ब्लाकों के आबंटन तथा कोयला उत्पादन में वृद्धि" संबंधी मसौदा निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में 31 मार्च 2011 के मौजूदा मूल्यों के आधार पर 10.67 लाख करोड़ रूपये के लाभ का अनुमान लगाया गया है। तत्पश्चात कोयला मंत्रालय के साथ 9 मार्च

2012 को एक एक्जिट संगोष्ठी हुई थी। उत्तरों के आधार पर सीएमपीडीआईएल के साथ आगे बातचीत हुई तथा स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रणाली के अनुसार रिपोर्ट बनाई गई जिसमें विभिन्न स्तरों पर तथ्यों, आंकड़ों की जांच व पुनरीक्षा, व विषयवस्तु दिये गए हैं। इसके फलस्वरूप, निजी आबंटियों को होने वाला वित्तीय लाभ अब 1.86 लाख करोड़ अनुमानित है। मसौदा रिपोर्ट तथा अंतिम रिपोर्ट के आंकड़ों में अंतर के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैः

- सरकारी कंपनियों के वित्तीय लाभ को अलग रखा गया है।
- वित्तीय लाभ की गणना हेतु "ओपन कास्ट" खानों पर विचार किया गया है तथा भूमिगत खानों को बाहर रखा गया है। "मिश्रित खानों" अर्थात् जहां ओपन कास्ट और भूमिगत भाग है, की गणना में केवल ओपन कास्ट भाग को शामिल किया गया है।
- खनन योजना के अनुसार, जहां उपलब्ध है, निष्कर्षणीय भंडार को लिया गया है। जहां खनन योजनाएं उपलब्ध नहीं थी, वहां ओपन कास्ट खानों के लिए भू–गर्भीय भंडार का 73 प्रतिशत तथा मिश्रित खानों के लिए भू–गर्भीय भंडार का 37 प्रतिशत कंजरवेटिव अनुमान पर विचार किया गया है जैसाकि रिपोर्ट के पैरा 4.3 में बताया गया है। तदनुसार, 6282.5 मि.ट. के निष्कर्षणीय भंडार की गणना की गई है।
- सर्वप्रथम प्रतिटन औसत लाभ की गणना वर्ष 2010–11 के लिए सीआईएल कोयला के सभी ग्रेडों हेतु औसत विक्रय मूल्य (1028.42 रूपये) प्रतिटन तथा वर्ष 2010–11 के लिए सीआईएल कोयला के सभी ग्रेडों हेतु औसत उत्पादन लागत (583.01 रू.) प्रतिटन के बीच अंतर को लेकर की गई है। इसके पश्चात, 15 मार्च, 2012 के कोयला मंत्रालय के पत्र द्वारा यथा सलाह के अनुसार वित्तपोषण लागत हेतु अतिरिक्त 150 रूपये प्रति टन का भत्ता दिया गया है। तदनुसार, उपरोक्त गणना के अनुसार 6282.5 मिलियन टन के निष्कर्षणीय भंडार के लिए 295.41 रू. प्रति टन का औसत लाभ प्रदान किया गया है। **(पैरा 4.3)**

- केप्टीव कोयला खनन मैकेनिज्म की परिकल्पना कोयला खनन में निजी क्षेत्र भागीदारी को बढ़ावा देना है। सीआईएल कोर अवसरंचना क्षेत्रों जैसे विद्युत, स्टील और सीमेंट आदि के लिए कोयले की बढ़ती हुई कमांग को पूरा करने हेतु उत्पादन नहीं बढ़ा सका है। "वर्ष 2012 तक सभी को विद्युत" के घोषित उद्देश्य के साथ सरकार ने 31 मार्च 2011 तक सरकारी व निजी पार्टियों को 44,440 मि.टन के सकल भू–गर्भीय भंडार सहित कुल 194 कोयला ब्लाकों का आबंटन किया है। केप्टीव उपभोक्ताओं को किये गए कोयला ब्लाकों के आबंटन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी क्योंकि भावी केप्टीव उपभोक्ताओं को कोयला ब्लाकों का आबंटन पारदर्शिता एवं वास्तविकता सुनिश्चित किये बगैर केवल राज्य सरकारों तथा अन्य प्रशासनिक मंत्रालयों की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। **(पैरा 1.1 तथा 1.6 साथ पठित पैरा 4.1 और 5.1)**
- केप्टीव खनन से कोयला उत्पादन उत्साहवर्धक नहीं था। वर्ष 210–11 के दौरान ऐसे 86 कोयला ब्लाकों जिसमें 73.00 मि.ट. कोयले का उत्पादन होना था, मात्र 28 ब्लाक, जिसमें निजी क्षेत्र को आबंटित 15 ब्लाक शामिल थे, ही 31 मार्च 2011

तक उत्पादन शुरू कर सके तथा वर्ष 2010–11 के दौरान 34.64 मि.टन कोयले का उत्पादन कर सके। **(पैरा 5.2)**

- कोयला ब्लाकों से समय पर उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु कोयला मंत्रालय (मार्च, 2005) ने बैंक गारंटी (बीजी) प्रणाली शुरू किया है। कोयला मंत्रालय ने आबंटितियों द्वारा कोयला ब्लाकों के विकास हेतु पहल में कमी के लिए जून 2011 तक 24 ब्लाकों का आबंटन रद्द कर दिया था। मानीटरिंग समिति ने कोयला रद्द कर दिया था। मॉनीटरिंग समिति ने कोयला ब्लाकों के विकास में विलम्ब हेतु 15 आबंटितियों से बीजी में कटौती हेतु (जनवरी और फरवरी 2011) भी सिफारिश की थी। तथापि, कोयला मंत्रालय इन आबंटितियों से बीजी को भुना नहीं पाया क्योंकि इसके लिए रीतिविधान अभी बनाये जाने थे (नवम्बर 2011)। विशेषज्ञ समिति ने इस प्रकार के मामलों में बीजी को सम्पूर्ण रूप से एनकैश करने की सिफारिश की है। नवम्बर 2011 के अनुसार, लेखा परीक्षा द्वारा तैयार किये गए रिपोर्ट के अनुसार, व्यपगत बीजी की राशि 150 ब्लाकों से 311.81 करोड़ रूपये थी जिनका नवीकरण करने की आवश्यकता थी। **(पैरा 5.7)**

लेखापरीक्षा की सिफारिशें हैं:

कोयला मंत्रालय को निम्नलिखित करना चाहिए:

- प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से केप्टीव खनन हेतु कोयला ब्लाकों के आबंटन की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए रीति विधान शीघ्र ही तैयार करने चाहिए जिससे कि आबंटन में "वास्तविकता" एवं "पारदर्शिता" आ सके तथा केप्टीव कोयला ब्लाकों के आबंटितियों को होने वाले लाभ का कुछ भाग सरकारी राजकोष में आ सके।
- एक सिंगल विण्डो मैकेनिज्म के रूप में उच्च अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ एक सु–समन्वित व सुनियोजित पहल करनी चाहिए जिससे कि खनन लीग, खनन योजना, वन मंजूरी, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं भूमि अधिग्रहण जैसे विभिन्न अनुमोदनों की मंजूरी में तेजी लाई जा सके।
- "प्रोत्साहन" प्रणाली विकसित की जानी चाहिए जिससे कि केप्टीव कोयला ब्लाकों से उत्पादन निष्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और गैर/खराब निष्पादनों के लिए "हतोत्साहित" किया जा सके।

सीआईएल को निम्नलिखित करना चाहिए:–

- योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार अपना उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।
- कोयला वाशरियों की स्थापना में तेजी लाई जानी चाहिए क्योंकि सीआईएल की सहायक कंपनियों में कोयले की वाशिंग क्षमता काफी अपर्याप्त है, इस तथ्य को देखते हुए कि भारतीय कोयले में राख का प्रतिशत अधिक है तथा कोयले की धुलाई अत्यधिक महत्वपूर्ण है, प्रयोक्ता संयंत्रों तथा पर्यावरणीय मामलों की दृष्टि से दोनों के लिए, इसके अतिरिक्त उच्च लाभ के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
- अपने उत्खनन एवं परिवहन क्षमताओं को समकालिक बनाना चाहिए।